जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर
सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति हेतु नीति

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक RBI/2023-24/113 Ref. No Dos.ARG.SEC.8/08.91.001/23-24 दिनांक 15/01/2024 द्वारा बी. आर. एक्ट 2020 की धारा 30 (1) (ए) के अंतर्गत दिनांक 01/04/2024 से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर के सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के दिशा निर्देश जारी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति दिनांक 31 जुलाई तक उस वित्तीय वर्ष में प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए है। अतः वित्तीय वर्ष 2024-25 से बैंक में सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की नीति निम्नानुसार है :-

1. **उद्देश्य :**

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति / प्रतिनियुक्ति या हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना है ।

2. **Applicability (प्रयोज्यता) :**

उक्त नीति दिनांक 01/04/2024 से लागू वित्तीय वर्ष एवं उसके उपरांत लागू वित्तीय वर्षों के सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रभावशील होगी ।

3. **प्रक्रिया :**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक RBI/2023-24/113 Ref. No Dos.ARG.SEC.8/08.91.001/23-24 दिनांक 15/01/2024 अनुसार नाबार्ड द्वारा राज्यवार तैयार की गई अंकेक्षकों की सूची में से बैंक द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नवीन अंकेक्षक की नियुक्ति की स्थिति में 02 अंकेक्षकों एवं पुनर्नियुक्ति की स्थिति में पूर्व अंकेक्षक के नाम का बैंक के बोर्ड/प्रशासक की कमेटी में अनुमोदन प्राप्त कर 31 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के भोपाल स्थित आंचलिक कार्यालय, पर्यवेक्षण विभाग में प्रस्तुत किया जावेगा एवं इसकी पुष्टि अंतिम रूप से बैंक की वार्षिक साधारण सभा में कराई जावेगी ।

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)

-2-

-2-

4. सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु पात्रता मानदण्ड :

Appendix I

Eligibility Criteria for Appointment as SA - Basic Eligibility for CCBs

Asset Size of StCB / CCB as on 31st March of Previous Financial Year	Minimum No. of Full-Time partners (FTPs) associated with the firm for a period of at least three years [Please refer to Note 1]	Out of total FTPs, Minimum No. of Fellow Chartered Accountant (FCA) Partner(s) associated with the firm for a period of at least three years	Minimum No. of FTPs / Paid CAs with CISA / ISA / DISA Qualification [Please refer to Note 2]	Minimum No. of years of Audit Experience of the firm [Please refer to Note 3]	Out of (5), Minimum No. of years of Statutory Audit experience in StCBs/CCBs [Please refer to Note 3]	Minimum No. of Professional Staff [Please refer to Note 4]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Above ₹15,000 crore	5	4	2	8	2	8
Above ₹1,000 crore and Up to ₹15,000 crore	3	2	1	4	1	4
Upto ₹1,000 crore	2	1	1*	1#	1#	2

* Preferably 1 FTP / Paid CA with DISA / CISA / ISA Qualification# Preferably 1 year experience

उपरोक्तानुसार दी गई तालिका में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप पात्र अंकेक्षण फर्म में से बैंक के मुख्यालय सागर स्थित ऐसी ऑडिट फर्म जिसका मुख्यालय सागर मे हो को प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी एवं जिस फर्म का मुख्यालय सागर संभाग में हो उसे द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। साथ ही तृतीय प्राथमिकता हेतु ऐसी ऑडिट फर्म जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में हो एवं उनकी शाखायें बैंक की शाखाओं की लोकेशन पर हो, दी जावेगी। साथ ही उक्त मापदण्ड धारित करने वाली ऑडिट फर्म में से जिनके पास अधिकतम फुल टाईम पार्टनर होगे । उन्हे प्राथमिकता देते हुये 02 फर्मों को तदानुसार प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता देते हुये नवीन चयन के प्रकरण में 02 एवं पुनः नियुक्ति के प्रकरण में 01 फर्म का अनुमोदन प्रशासक की बैठक में करने हेतु प्रस्तुत किया जावेगा।

5. अतिरिक्त विचार योग्य बिन्दुः-

-3-

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)

i. लेखा परीक्षा फर्म, जिसे सांविधिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है, को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के अनुसार किसी कंपनी के लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत योग्य होना चाहिए।

ii. लेखा परीक्षा फर्म को किसी भी सरकारी एजेंसी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोटिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), आरबीआई या अन्य वित्तीय नियामकों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो।

iii. बैंक यह सुनिश्चित करेगें कि सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति आईसीएआई की आचार संहिता / अपनाए गए किसी भी अन्य मानक के अनुसार हो और इससे हितों का कोई टकराव उत्पन्न न हो रहा हो।

iv. यदि सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी साझेदार किसी बैंक में निदेशक है, तो उक्त फर्म को उस बैंक के सांविधिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा ।

v. लेखा परीक्षकों के पास बैंकों के कम्प्यूटीकरण के स्तर / जटिलता के अनुरूप कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा उपकरण और तकनीक (सीएटीटी) और सामान्यीकृत लेखापरीक्षा सॉफ्टवेयर (जीएएस) लगाने की क्षमता और अनुभव होना चाहिए।

6. आधारभूत पात्रता मानदंडों का निरंतर अनुपालनः-

यदि कोई लेखा परीक्षा फर्म (नियुक्ति के बाद) किसी भी पात्रता मानदंड (किसी भी साझेदार / कर्मचारी/कर्मचारियों के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण या सरकारी एजेंसियों / एनएफआरए / आईसीएआई / आरबीआई / अन्य वित्तीय नियामक आदि द्वारा कार्यवाही के कारण) का अनुपालन नही करती है जैसा कि ऊपर 5 (ii) में बताया गया है, तो इसे तुरंत पूर्ण विवरण के साथ बैंक से संपर्क करना होगा । इसके अलावा, ऐसी लेखा परीक्षा फर्म उचित समय के भीतर पात्र बनने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और किसी भी मामले में, लेखा

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)

-4-

परीक्षा फर्म को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक सांविधिक लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले और वार्षिक लेखापरीक्षा पूरा होने तक उपयुक्त मानदंडों का अनुपालन करना होगा ।

7. **सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की प्रक्रियाः**

i. शीर्ष बैंक में सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतर्गत बोर्ड / प्रशासक द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षक फर्म के नाम का प्रस्ताव का अनुमोदन आरबीआई से प्राप्त करने हेतु आरबीआई को निर्धारित प्रारूप आवेदन प्रेषित किया जावें एवं आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त होने तथा बैंक की वार्षिक आम साधारण सभा में सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

ii. सांविधिक अंकेक्षक की नवीन नियुक्ति हेतु नाबार्ड के पेनल में सें न्यूनतम 02 लेखा परीक्षक फर्म का चयन (बिंदु क्र. 4 अनुसार) किया जावेगा।

iii. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 में दी गई प्रक्रिया अनुसार चयनित वरियता क्रम की 02 लेखा परीक्षक फर्म के नाम का सैद्धान्तिक अनुमोदन एवं अनुशंसा बोर्ड / प्रशासक की बैठक से प्राप्त कर तदुपरांत आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त की जावेगी।

iv. आरबीआई से अनुमति प्राप्त करने हेतु नाबार्ड पर्यवेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में अपना आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

v. चयनित लेखा परीक्षक फर्मों से फॉर्म "बी" (संलग्न परिशिष्ट "बी") में प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावेगा जो फर्म के लेटर हेड पर मेनेजिंग पार्टनर द्वारा हस्ताक्षरित किया जावेगा।

vi. लेखा परीक्षक फर्म के नाम की अनुशंसा करते समय बैंक द्वारा फॉर्म "सी" प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। (संलग्न परिशिष्ट-"सी") आरबाआई को पूर्व अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने वाले आवेदन में विगत वित्तीय वर्ष 31 मार्च की स्थिति पर कुल आस्ति (Total Asset) के आकड़े दर्शाना होगा तथा लेखा परीक्षक फर्म के नामों की वरीयता क्रम में

Zila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)

अनुशंसा करने वाले बोर्ड / प्रशासक की बैठक का संकल्प की प्रति, फॉर्म बी एवं फार्म सी के साथ-साथ उल्लेखित सभी दस्तावेज संलग्न कर प्रेषित करना होगा ।

8. लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता:

i. बैंक का बोर्ड / एसीबी प्रासंगिक सांविधिक / नियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के संदर्भ में लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और हितों के टकराव, यदि कोई हो, की निगरानी और मूल्यांकन करेगा। बोर्ड / एसीबी द्वारा उठाए गए मामले, यदि कोई हों, नाबार्ड को सूचित किए जाएंगे।

ii. बैंक के समवर्ती लेखा परीक्षकों को उसी बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। एक कार्य के पूरा होने और दूसरे कार्य के शुरू होने के बीच न्यूनतम एक वर्ष का अंतर होना चाहिए।

iii. नियुक्ति से पहले और सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में कार्यकाल पूरा करने के बाद, नियोक्ता बैंक के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए किसी भी गैर-लेखापरीक्षा कार्य (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 144 में उल्लिखित सेवाएं, आंतरिक कार्य, विशेष कार्य इत्यादि) के बीच का समय अंतराल कम से कम एक वर्ष होगा। हालाँकि, एसए के रूप में कार्यकाल के दौरान, बोर्ड / एसीबी के निर्णय के आधार पर, लेखापरीक्षा फर्म नियोक्ता बैंक को ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकती है जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर हितों का टकराव ना हो। विशेष कार्य, जैसे (i) कर लेखापरीक्षा, कर प्रतिनिधित्व और कराधान मामलों पर सलाह, (ii) अंतरिम वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा, (iii) प्रमाण पत्र जारी करना जो सांविधिक या विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में एसए द्वारा बनाया जाना आवश्यक है, और (iv) वित्तीय जानकारी या उसके खंडों पर रिपोर्टिंग जैसे कार्यों को हितों का टकराव नहीं माना जा सकता है।

H. O. SAGAR

iv. प्रतिबंध, जैसा कि ऊपर पैरा ii और iii में बताया गया है, लेखापरीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के तहत आनेवाली लेखापरीक्षा फर्म या समान साझेदार / साझेदारों वाली किसी अन्य लेखापरीक्षा फर्म पर भी लागू होंगे, जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक), 2014 के नियम 6 (3) में परिभाषित किया गया है।

V. प्रबंधन की कार्यशैली के संबंध में, जैसे सूचना की अनुपलब्धता / प्रबंधन द्वारा असहयोग (जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है), आदि के बारे में यदि कोई मामला हो तो एसए बोर्ड / एसीबी के साथ-साथ नाबार्ड को भी रिपोर्ट करेंगे

9. सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) के प्रदर्शन की समीक्षा:

1. बैंक का बोर्ड / एसीबी एसए के निष्पादन की सालाना समीक्षा करेगा। लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी भी गंभीर चूक / लापरवाही, एसए की ओर से कार्यशैली के स्तर पर, या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी भी अन्य मामले को लेखापरीक्षा पूरा होने के दो महीने के भीतर बोर्ड / एसीबी के अनुमोदन से नाबार्ड को सूचित करना होगा ।

ii. मौजूदा सांविधिक/नियामक मानदंडों के किसी भी उल्लंघन की और एसए द्वारा लेखापरीक्षा कार्यों में चूक जैसे वित्तीय विवरणों के संबंध में गलत विवरणों आदि को प्रासंगिक सांविधिक / विनियामकीय/पर्यवेक्षी ढांचे के तहत उचित रूप से निपटाया जाएगा।

10. सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) का कार्यकाल और रोटेशन:

i. सांविधिक लेखा परीक्षकों को एक बार में केवल एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक स्तर पर पुनः नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि वे इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते रहें। ऐसी अवधि के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षकों को समय से पहले हटाने के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन

Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit H. O. SAGAR Sagar (M. P.)

- 7.

की आवश्यकता होगी। हालाँकि, हटाने का ऐसा कोई भी अनुरोध बोर्ड / एसीबी के अनुमोदन के साथ भेजा जाएगा।

ii. लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षा फर्म पूर्ण या आंशिक कार्यकाल पूरा होने के तुरंत बाद छह साल (दो कार्यकाल) के लिए उसी बैंक में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। यदि किसी लेखा परीक्षक / लेखा परीक्षा फर्न ने आंशिक कार्यकाल (एक वर्ष या दो वर्ष) के लिए बैंक का लेखा परीक्षण किया है और फिर शेष कार्यकाल के लिए उसे दोबारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह उसी बैंक में आंशिक कार्यकाल पूरा होने के छह वर्ष बाद तक पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालाँकि, लेखा परीक्षा फर्म अन्य बैंकों का सांविधिक लेखा परीक्षण करना जारी रख सकती हैं।

11. एक लेखा परीक्षा फर्म द्वारा लेखा परीक्षा किए जा सकने वाले एसटीसीबी / सीसीबी की संख्या:

i. एक लेखा परीक्षा फर्म एक वर्ष में अधिकतम पांच बैंकों (अधिकतम एक एसटीसीबी सहित) की सांविधिक लेखा परीक्षा एक साथ कर सकती है।

ii. यह पाँच बैंकों की सीमा, दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के 'वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) । सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश' में निर्धारित 20 विनियमित संस्थाओं (आरई) की सीमा के अतिरिक्त होगी।

iii. इसके अलावा, एक वर्ष में, एक लेखा परीक्षा फर्म एक साथ एक ही राज्य में संचालित एसटीसीबी और सीसीबी दोनों की सांविधिक लेखा परीक्षा नहीं कर सकती है।

iv. दूसरे शब्दों में, एक लेखा परीक्षा फर्म एक वर्ष में एक साथ अधिकतम चार वाणिज्यिक बैंकों [अधिकतम एक पीएसबी या एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, सिडबी, एनएबीएफआईडी, एनएचबी, एक्जिम बैंक) या

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)

आरबीआई सहित], आठ शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), आठ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), और पांच एसटीसीबी / सीसीबी (अधिकतम एक एसटीसीबी सहित) की सांविधिक लेखा परीक्षा कर सकती है।

V. यह सीमा इन दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों और अन्य शर्तों के साथ लेखा परीक्षा फर्म के अनुपालन और किमी अन्य क़ानून या नियमों द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अधीन है।

vi. इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, समान साझेदार और / या एक ही नेटवर्क के तहत लेखा परीक्षा फर्मों के एक समूह को एक संस्था माना जाएगा और तदनुसार एसए के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। आने वाली नई लेखा परीक्षा फर्म पात्र नहीं होगी यदि ऐसी लेखा परीक्षा फर्म निवर्तमान लेखा परीक्षा फर्म से जुड़ी है या लेखा परीक्षा फर्मों के एक ही नेटवर्क के अंतर्गत है।

Vii किसी अन्य लेखा परीक्षा फर्म या लेखा परीक्षा फर्मों के समान नेटवर्क के तहत किसी सहयोगी लेखा परीक्षा फर्म द्वारा साझा / उप-अनुबंधित लेखा परीक्षा की अनुमति नहीं है।

12. सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय:

अंकेक्षण शुल्क का भुगतान संभाग एवं प्रदेश स्तर के उच्च कार्यलयों व्दारा शुल्क का अनुमोदन हो जाने के बाद किया जावेगा। परन्तु शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय सागर में अंकेक्षण के दौरान भ्रमण हेतु वाहन किराया व्यय लार्जिग, वोर्डिग, यात्रा भत्ता एवं अन्य व्यय बैंक के व्दारा भुगतान नहीं किये जावेगें।

Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M. P.)

-9-

अन्य:

i. इस हेतु प्रथमतः विषय प्रशासक / बोर्ड में रखा जाकर उनकी अनुशंसा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा यदि बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा फर्म के कार्य से संतुष्ट नही होते है तो आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त कर उन्हें हटाया जा सकेगा।

ii. सांविधिक अंकेक्षक फर्म को बैंक मुख्यालय के साथ बैंक की समस्त शाखाओं का सांविधिक अंकेक्षण भी प्रतिवर्ष किया जाना होगा। सांविधिक अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण किये जाने वाले मुख्यालय एवं शाखाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है भविष्य में नवीन शाखा खोलने एवं बन्द होने पर संशोधन किया जावेगा। (संलग्न परिशिष्ट - स)

iii. सांविधिक अंकेक्षक का कार्यकाल पूर्ण वित्तीय वर्ष तथा नवीन सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति तक रहेगा। इस दौरान विभिन्न सांविधिक वित्तीय पत्रक का प्रमाणीकरण Accounting Standard के अनुरूप सलाह / अन्य अभिमत सांवधिक अंकेक्षक द्वारा निशुल्क प्रदान किया जावेगा।

iv. सांविधिक अंकेक्षक फर्म को 31 मई तक प्रति वित्तीय वर्ष हिन्दी भाषा में अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन में आरबीआई / नाबार्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का समावेश भी करना होगा।

V. एलएफआर नाबार्ड के पत्र क्रमांक 106/DoS-19/2008 date 30 June 2008 (Ref. No. NB.DOS.POL/1309/J.1/2008-09) से जारी किये प्रारूप में तैयार किया जावें। (संलग्न परिशिष्ट - द) बैंक के सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति की नीति बैंक की बेवसाईट पर अपलोड किया जाना होगा।

उपरोक्तानुसार सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति / पुर्ननियुक्ति हेतु नीति का प्रशासक की बैठक में अनुमोदन किया जाता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/सचिव
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, सागर

कलेक्टर/बैंक प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, सागर

FORM B

Eligibility Certificate from (Name and Firm Registration Number of the firm)

A. Particulars of the firm

Asset Size of StCBs / CCBs as on 31st March of Previous Financial Year (audited figures)	Number of Full-Time partners (FTPs) associated* with the firm for a period of three years	Out of total FTPs, Number of FCA Partner(s) associated with the firm for a period of three years	Number of FTPs / Paid CAs with CISA / ISA / DISA Qualification	Number of Years of Audit Experience#	Out of (5), minimum No. of years of Statutory Audit experience in StCBs / CCBs	Number of Professional staff
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

*Exclusively associated in case of StCB/CCBs with asset size of more than ₹ 1,000 crore

#Details shall be furnished in the following format:

Name of the bank	Type of bank (Whether Commercial Bank/ UCB / NBFC (including HFCs) / AIFI / StCB / CCB / RRB)	Year-wise audit undertaken (Ascending Order)	Specify Type of Audit (Whether Statutory Central Audit (SCA) / Statutory Branch Audit (SBA) of Commercial Bank / Statutory Audit of [UCBs / NBFCs (including HFCs) / AIFIs / StCBs / CCBs / RRBs])

B. Additional Information:

(i) Copy of the latest Constitution Certificate of the recommended audit firms.

(ii) Whether the firm is a member of any network of audit firms or any partner(s) of the firm is a current partner in any other audit firm? If yes, details thereof.

(iii) Whether the firm has been appointed as SA by any other StCB / CCBs in the current inancial year? If yes, details thereof.

(iv) Whether the firm has been debarred from taking up audit assignments by any regulator / Government agency? If yes, details thereof.

(v) Details of disciplinary proceedings, etc., against firm / any partner of the firm by any Financial Regulator / Government agency during last three years, both closed and pending.

C. Declaration from the firm

The firm complies with all eligibility norms prescribed by RBI regarding appointment / re-appointment of SA of StCBs / CCBs. It is certified that neither I nor any of our partner(s) / member(s) of my / their families (family will include spouse, children, parents, brothers, sisters or any of them who are wholly or mainly dependent on the Chartered Accountants) or the firm / company in which I am / they are partners / directors[1] have been declared as a willful defaulter by any bank / financial institution.

It is confirmed that the information provided above is true and correct.

Signature of the Partner

(Name of the Partner)

Date:

[1] For the purpose of this declaration, the credit facilities availed by companies where the partner of a firm has been appointed as non-executive director in a professional capacity having no financial interest shall not be included.

FORM C

A. Certificate to be submitted by the StCB / CCB regarding eligibility of audit firm proposed to be appointed / reappointed as SA

1. The StCB / CCB is desirous of appointing / reappointing .... (Firm Registration Number ....) as Statutory Auditor (SA) for the financial year 2024-25 for their 1st / 2nd / 3rd year and therefore has sought the prior approval of RBI as per the Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949.

2. The StCB / CCB has obtained the eligibility certificate on all criteria of eligibility as prescribed in Appendix I of the circular on 'Guidelines on Appointment / reappointment of Statutory Auditors (SAs) of State Co-operative Banks (StCBs) and Central Co-operative Banks (CCBs)' issued vide circular Ref. No. DOS. ARG/SEC. 8/08.91.001/2023-24 dated January 15, 2024, from (....................................... Firm Registration Number .... audit firm) proposed to be appointed / reappointed as Statutory Auditor of the StCB / CCB for FY ...., along with relevant information, in Form B of the circular prescribed by RBI (copy enclosed).

3. The firm has no past association / association for _____ years (**between FY .... and FY**..................) with the StCB / CCB as SA and for __________ years (**between FY .... and FY**..................) with the StCB / CCB for non-audit work.

4. The StCB / CCB has verified the said firm's compliance with all the eligibility norms prescribed by RBI for appointment of SA of StCB / CCB.

B. Additional Information

i) Name of Statutory Audit Firm with Firm Registration Number (FRN) for last six years:

Sl No	Name of the Audit Firm	FRN	Financial Year of Audit

ii) Copy of the Constitution Certificate of the Audit Firm of the previous Financial Year

Signature
(Name and Designation)
Date:

Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M. P.)

परिशिष्ट - स

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सागर (म.प्र.)

सांविधिक अंकेक्षक व्दारा अंकेक्षण किये जाने वाले मुख्यालय एवं शाखाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

शाखा का क्रमांक	मुख्यालय / शाखा
1.	मुख्यालय, सागर
2.	अमानत शाखा, सागर
3.	कटरा, सागर
4.	बीना
5.	खुरई
6.	बंडा
7.	देवरी
8.	रहली
9.	गढ़ाकोटा
10.	केसली
11.	मालथौन
12.	राहतगढ़
13.	शाहगढ़
14.	जैसीनगर
15.	परसोरिया
16.	सुरखी
17.	नरयावली
18.	ढ़ाना
19.	सदर
20.	बांदरी
21	खिमलासा
22.	गौरझामर

Zila Sahakari Kendriya Bank Mydt. H. O. SAGAR Sagar (M.P.)